



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082025-265419
CG-DL-E-14082025-265419

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3620]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2025/श्रावण 22, 1947

No. 3620]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

का.आ. 3712(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के मुंगेर जिले में NH80 के कि.मी. 69.52 से कि.मी.95.7 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू-अर्जन अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य के मुंगेर जिले में NH80 के कि.मी. 69.52 से कि.मी.95.7 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: बिहार			जिले का नाम: मुंगेर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मुंगेर					
गांव का नाम: नौआगढ़ी					
1	1615	निजी	रेसिडेंशियल	0.0057 (हेक्टेयर)	0.0057
2	1616	निजी	रेसिडेंशियल	0.0359 (हेक्टेयर)	0.0359
3	1618	निजी	रेसिडेंशियल	0.1136 (हेक्टेयर)	0.1136
4	1621	निजी	रेसिडेंशियल	0.0122 (हेक्टेयर)	0.0122
5	1629	निजी	रेसिडेंशियल	0.0069 (हेक्टेयर)	0.0069
6	1632	निजी	रेसिडेंशियल	0.0057 (हेक्टेयर)	0.0057
7	1702	निजी	रेसिडेंशियल	0.0122 (हेक्टेयर)	0.0122
गांव का नाम: जानकीनगर					
8	382	निजी	रेसिडेंशियल	0.0061 (हेक्टेयर)	0.0061
9	422	निजी	रेसिडेंशियल	0.0013 (हेक्टेयर)	0.0013
10	423	निजी	रेसिडेंशियल	0.0076 (हेक्टेयर)	0.0076
11	424	निजी	रेसिडेंशियल	0.0158 (हेक्टेयर)	0.0158
12	425	निजी	रेसिडेंशियल	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
गांव का नाम: मिल्की चक					
13	117	निजी	रेसिडेंशियल	0.0045 (हेक्टेयर)	0.0045
14	119	निजी	रेसिडेंशियल	0.0367 (हेक्टेयर)	0.0367
15	123	निजी	रेसिडेंशियल	0.0128 (हेक्टेयर)	0.0128
16	125	निजी	रेसिडेंशियल	0.0337 (हेक्टेयर)	0.0337
17	127	निजी	रेसिडेंशियल	0.0092 (हेक्टेयर)	0.0092
18	128	निजी	रेसिडेंशियल	0.0061 (हेक्टेयर)	0.0061
19	224	निजी	रेसिडेंशियल	0.0161 (हेक्टेयर)	0.0161
तालुक का नाम: बरियारपुर					
गांव का नाम: करहरिअ					
20	485	निजी (प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.2618 (हेक्टेयर)	0.2618

गांव का नाम: खरिआ					
21	18	निजी (प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.1163 (हेक्टेयर)	0.1163
22	1987	निजी (प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0016 (हेक्टेयर)	0.0016
गांव का नाम: बागरा					
23	100	निजी (प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0437 (हेक्टेयर)	0.0437
24	158	निजी (प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0557 (हेक्टेयर)	0.0557
25	85	निजी (प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0182 (हेक्टेयर)	0.0182
26	86	निजी (प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0323 (हेक्टेयर)	0.0323
27	87	निजी (प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0384 (हेक्टेयर)	0.0384
28	88	निजी (प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0607 (हेक्टेयर)	0.0607
29	89	निजी (प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0424 (हेक्टेयर)	0.0424
30	91	निजी (प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0546 (हेक्टेयर)	0.0546
31	93	निजी (प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0084 (हेक्टेयर)	0.0084
गांव का नाम: रतनपुर					
32	10	निजी	एग्रीकल्चर	0.0085 (हेक्टेयर)	0.0085
33	574	निजी	एग्रीकल्चर	0.0405 (हेक्टेयर)	0.0405
34	7	निजी	एग्रीकल्चर	0.0085 (हेक्टेयर)	0.0085
गांव का नाम: चिरयाबाद					
35	139	निजी (प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0424 (हेक्टेयर)	0.0424
तालुक का नाम: जमालपुर					
गांव का नाम: पतम					
36	127	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
गांव का नाम: मुस्तफापुर					
37	34	निजी	रेसिडेंशियल	0.0013 (हेक्टेयर)	0.0013
38	82	निजी	रेसिडेंशियल	0.0037 (हेक्टेयर)	0.0037
गांव का नाम: गौरीपुर					
39	65	निजी (प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.1088 (हेक्टेयर)	0.1088
Total					1.3149

[फा. सं. NHAI/12010/06/BGS/2016/Tech/6904/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2025

S.O. 3712(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building

(widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH80 in the stretch of land from Km. 69.52 to Km. 95.7 in the district of MUNGER in the state of BIHAR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Land Acquisition Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH80 in the stretch of land from Km. 69.52 to Km. 95.7 in the district of MUNGER in the state of BIHAR

State: BIHAR			District: MUNGER		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Munger					
Village: Nauagarhi					
1	1615	Private	Residential	0.0057 (Hectare)	0.0057
2	1616	Private	Residential	0.0359 (Hectare)	0.0359
3	1618	Private	Residential	0.1136 (Hectare)	0.1136
4	1621	Private	Residential	0.0122 (Hectare)	0.0122
5	1629	Private	Residential	0.0069 (Hectare)	0.0069
6	1632	Private	Residential	0.0057 (Hectare)	0.0057
7	1702	Private	Residential	0.0122 (Hectare)	0.0122
Village: Jankinagar					
8	382	Private	Residential	0.0061 (Hectare)	0.0061
9	422	Private	Residential	0.0013 (Hectare)	0.0013
10	423	Private	Residential	0.0076 (Hectare)	0.0076
11	424	Private	Residential	0.0158 (Hectare)	0.0158
12	425	Private	Residential	0.005 (Hectare)	0.005
Village: Milki Chak					
13	117	Private	Residential	0.0045 (Hectare)	0.0045
14	119	Private	Residential	0.0367 (Hectare)	0.0367
15	123	Private	Residential	0.0128 (Hectare)	0.0128
16	125	Private	Residential	0.0337 (Hectare)	0.0337
17	127	Private	Residential	0.0092 (Hectare)	0.0092
18	128	Private	Residential	0.0061 (Hectare)	0.0061
19	224	Private	Residential	0.0161 (Hectare)	0.0161
Taluk: Bariarpur					
Village: Karharia					
20	485	Private	Agriculture	0.2618 (Hectare)	0.2618

Village: Kharia					
21	18	Private	Agriculture	0.1163 (Hectare)	0.1163
22	1987	Private	Agriculture	0.0016 (Hectare)	0.0016
Village: Bagra					
23	100	Private	AGRICULTURE	0.0437 (Hectare)	0.0437
24	158	Private	AGRICULTURE	0.0557 (Hectare)	0.0557
25	85	Private	AGRICULTURE	0.0182 (Hectare)	0.0182
26	86	Private	AGRICULTURE	0.0323 (Hectare)	0.0323
27	87	Private	AGRICULTURE	0.0384 (Hectare)	0.0384
28	88	Private	AGRICULTURE	0.0607 (Hectare)	0.0607
29	89	Private	AGRICULTURE	0.0424 (Hectare)	0.0424
30	91	Private	AGRICULTURE	0.0546 (Hectare)	0.0546
31	93	Private	AGRICULTURE	0.0084 (Hectare)	0.0084
Village: Ratanpur					
32	10	Private	Agriculture	0.0085 (Hectare)	0.0085
33	574	Private	Agriculture	0.0405 (Hectare)	0.0405
34	7	Private	Agriculture	0.0085 (Hectare)	0.0085
Village: Chiraiabad					
35	139	Private	Agriculture	0.0424 (Hectare)	0.0424
Taluk: Jamalpur					
Village: Patam					
36	127	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
Village: Mustafapur					
37	34	Private	Residential	0.0013 (Hectare)	0.0013
38	82	Private	Residential	0.0037 (Hectare)	0.0037
Village: Gauripur					
39	65	Private	Agriculture	0.1088 (Hectare)	0.1088
Total					1.3149

[F. No. NHAI/12010/06/BGS/2016/Tech/6904/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director